

Press Release

दिनांक :- 07.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 8,977 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया।

पश्चिम चम्पारण जिला में ₹7,95,000/-, गोपालगंज जिला में ₹59,000/- एवं सारण जिला में ₹1,07,600/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) 15

Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) 5

Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag) 6

Violation of Loudspeaker Act 2

Illegal Meeting/Speech etc. 6

Others 3

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized 9

No. of cartridges seized 11

No. of Licensed Arms deposited 1,439

No. of Licensed Arms Cancelled 1

No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC 6,365

No. of non-bailable warrants executed 494

Fine collected in vehicle checking Rs. 18,45,847

4. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-

No. of prohibition cases registered	44
No. of raids conducted	114
Volume of illicit liquor seized during raids	2,073 litre
No. of persons arrested	36
Amount of fine imposed	Rs. 87,100

5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चतुर्थ चरण के जिलों यथा पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज एवं सिवान जिला के कुल 55 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 1-वाल्मीकिनगर, 2-रामनगर (अ.जा.), 3-नरकटियागंज, 4-बगहा, 5-लौरिया, 6-नौतन, 7-चनपटिया, 8-बेतिया, 9-सिकटा, 10-रक्सौल, 11-सुगौली, 12-नरकटिया, 13-हरसिद्धि (अ.जा.), 14-गोविन्दगंज, 15-केसरिया, 16-कल्याणपुर, 17-पिपरा, 18-मधुबन, 19-मोतिहारी, 20-चिरैया, 21-ढाका, 22-शिवहर, 23-रीगा, 24-बथनाहा (अ.जा.), 25-परिहार, 26-सुरसंड, 27-बाजपट्टी, 28-सीतामढ़ी, 29-रुन्नीसैदपुर, 30-बेलसंड, 31-गायघाट, 32-औराई, 33-मीनापुर, 34-बोचहाँ (अ.जा.), 35-सकरा (अ.जा.), 36-कुढ़नी, 37-मुजफ्फरपुर, 38-काँटी, 39-बरुराज, 40-पारु, 41-साहेबगंज, 42-बैकुण्ठपुर, 43-बरौली, 44-गोपालगंज, 45-कुचायकोट, 46-गोरे (अ.जा.), 47-हथुआ, 48-सिवान, 49-जीरादेई, 50-दरौली (अ.जा.), 51-रघुनाथपुर, 52-दरौंदा, 53-बड़हरिया, 54-गोरेयाकोटी एवं 55-महाराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अधिसूचना आज दिनांक 07.10.2015 को जारी कर दी गयी है। उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर, 2015, नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 15 अक्टूबर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर, 2015 एवं मतदान की तारीख 1 नवम्बर, 2015 निर्धारित है।

6.

नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- नामांकन निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष आम सूचना में उल्लेखित स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक दिया जा सकता है।
- अभ्यर्थी के लिए विधान सभा निर्वाचन के लिए 25 वर्ष आयु की अर्हता होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी बिहार राज्य के किसी भी विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक हो सकते हैं जबकि प्रस्तावक के

लिए उसी विधान सभा क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है।

- सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 10 हजार रुपये की जमानत राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मामले में जमानत राशि 5 हजार निर्धारित है।
 - विधान सभा निर्वाचन के लिए प्ररूप-2ख में नामांकन दाखिल किया जाना है।
 - प्ररूप-2ख के साथ अभ्यर्थी प्ररूप-26 में प्रतिशपथ पत्र में विभिन्न विषयों पर यथा न्यायालय में लम्बित मामले, दर्ज मामले, सजा, शैक्षणिक योग्यता, दायित्वों आदि की विवरणी प्रस्तुत करेंगे। प्ररूप-26 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे नामांकन की अन्तिम तिथि के 03:00 बजे अपराह्न तक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - प्ररूप-26 पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। अपूर्ण प्ररूप-26 दाखिल करने के स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस निर्गत किये जायेंगे।
 - राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल (बिहार के मामले में 6 राष्ट्रीय एवं 4 राज्य स्तरीय दल हैं) के मामले में एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय से भिन्न अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।
 - नामांकन के समय अधिकतम 3 वाहन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के 100 मीटर की परिधि में जा सकते हैं।
 - नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत कुल 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
 - मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने अभ्यर्थियों के लिए प्ररूप-ए एवं बी निर्गत किये जायेंगे जिसके आधार पर उनको उक्त श्रेणियों में अन्य आवश्यक अर्हता होने पर मान्यता दी जायेगी।
 - बिहार राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं जन जाति के श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में खड़े हो सकते हैं।
 - अभ्यर्थियों के छायाचित्र मतपत्र पर मुद्रित होंगे। सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अपना नवीनतम छायाचित्र नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के जिलों यथा मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं दरभंगा जिला के कुल 57 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचना दिनांक 08.10.2015 को जारी कर दी जायेगी। उक्त जिलों के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर, 2015,

नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 17 अक्टूबर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर, 2015 एवं मतदान की तारीख 5 नवम्बर, 2015 निर्धारित है।

8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 07.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
सारण	113-एकमा	5
	114-मांझी	5
	115-बनियापुर	3
	116-तरैया	4
	117-मढ़ौरा	8
	118-छपरा	6
	119-गरखा (अ0जा0)	5
	120-अमनौर	6
	121-परसा	5
	122-सोनपुर	4
वैशाली	123-हाजीपुर	10
	124-लालगंज	6
	125-वैशाली	5
	126-महुआ	8
	127-राजापाकर (अ0जा0)	7
	128-राघोपुर	9
	129-महनार	6
	130-पातेपुर (अ0जा0)	12
नालन्दा	171-अस्थायी	5
	172-बिहारशरीफ	4
	173-राजगीर (अ0जा0)	8
	174-इस्लामपुर	4
	175-हिलसा	5
	176-नालन्दा	2
	177-हरनौत	3
पटना	178-मोकामा	6

	179-बाढ़	6
	180-बख्तियारपुर	3
	181-दीघा	9
	182-बाँकीपुर	4
	183-कुम्हार	9
	184-पटना साहिब	4
	185-फतुहा	8
	186-दानापुर	2
	187-मनेर	3
	188-फुलवारी (अ0जा0)	6
	189-मसौढ़ी (अ0जा0)	4
	190-पालीगंज	4
	191-बिक्रम	7
भोजपुर	192-संदेश	5
	193-बड़हरा	2
	194-आरा	4
	195-अगिआँव (अ0जा0)	3
	196-तरारी	9
	197-जगदीशपुर	8
	198-शाहपुर	4
बक्सर	199-ब्रहमपुर	4
	200-बक्सर	4
	201-डुमराँव	6
	202-राजपुर (अ0जा0)	5
कुल योग		274

इस प्रकार तृतीय चरण हेतु आज तक कुल 625 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।

9. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 07.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
पश्चिम चम्पारण	3-नरकटियागंज	1

	6-नौतन	2
	9-सिकटा	1
पूर्वी चम्पारण	11-सुगौली	1
	12-नरकटिया	2
	14-गोविन्दगंज	1
	15-केसरिया	1
	16-कल्याणपुर	1
	17-पिपरा	1
	18-मधुबन	1
	20-चिरैया	2
	21-ढाका	1
सीतामढ़ी	23-रीगा	2
	24-बधनाहा (अ0जा0)	1
	25-परिहार	5
	26-सुरसंड	3
	27-बाजपट्टी	3
	28-सीतामढ़ी	1
मुजफ्फरपुर	89-औराई	3
	91-बोचहाँ (अ0जा0)	1
	92-सकरा (अ0जा0)	2
	94-मुजफ्फरपुर	2
	95-काँटी	2
	97-पारु	1
	98-साहेबगंज	3
गोपालगंज	99-बैकुण्ठपुर	1
	100-बरौली	2
	101-गोपालगंज	3
	104-हथुआ	1
सिवान	106-जीरादेई	1
	111-गोरेयाकोठी	3
कुल योग		55

इस प्रकार चतुर्थ चरण हेतु आज कुल 55 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है।
